Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATI
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

फा.सं.सी-06/2011-एमपीलैड्स (भाग)

16.02.2017
Dated .....

सेवा में,

(1) निगम आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
(2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः **कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु उपकरण संबंधी ।**

महोदय/महोदया,

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि उनका मंत्रालय देश के प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र (पीएमकेके) स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है । वे पहले ही इस प्रकार के 70 केन्द्र स्थापित कर चुके हैं । देश के विभिन्न क्षेत्रों में चालक प्रशिक्षण स्कूल/संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं जो हल्के मोटर वाहनों, भारी मोटर वाहनों और अवसंरचना उपकरणों जैसे कि कम्पैक्टर्स, ग्रेडर्स, जेसीबी, डोजर्स, कन्क्रीट मिक्सर्स आदि में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ।

2. अतः एमपीलैड संबंधी दिशानिर्देशों में पैरा 3.45 को शामिल करते हुए कौशल विकास के अंतर्गत इस प्रकार के चालक प्रशिक्षण संस्थान/स्कूलों में कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु उपकरणों की एमपीलैड्स के अंतर्गत खरीद की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं:

"3.45 कौशल विकास हेतु उपकरणः कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए उपकरणों की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एमपीलैड्स की मूल स्कीम की तर्ज पर होगीः

(i) हल्के मोटर वाहनों, भारी मोटर वाहनों और कमपैक्टर्स, ग्रेडर्स, जेसीबी, डोजर्स, कन्क्रीट मिक्सर आदि जैसे अवसंरचना उपकरणों की खरीद की अनुमति माननीय संसद सदस्य की सिफारिश पर, जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलैक्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति जिसमें कौशल विकास केन्द्र का निदेशक सदस्य होगा, द्वारा जांच के पश्चात दी जाएगी । खरीद संबंधी

कार्य जिला प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं तथा नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) उपकरणों की अनुमति केवल सरकार/कौशल विकास प्रदान कर रहे सरकारी संस्थानों के लिए होगी । इन उपकरणों के प्रयोग से कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि निषिद्ध होगी ।

(iii) उपकरण का स्वामित्व जिला प्राधिकारी के पास होगा तथा यह निदेशक, जिला कौशल विकास केन्द्र के पर्यवेक्षण में रहेगा । एमपीलैड्स के अंतर्गत खरीदे गए उपकरणों की प्राप्तकर्ता सरकारी संस्थानों के स्टॉक रजिस्टर में विधिवत प्रविष्टि की जाएगी ।

(iv) संचालन और रखरखाव संबंधी लागत प्रयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वहन की जाएगी (यह बात कार्य/खरीद शुरू किए जाने से पहले जिला प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी) । किसी आवर्ती खर्च की अनुमति नहीं होगी ।

(v) प्रत्येक हल्के मोटर वाहन, भारी मोटर वाहन और अवसंरचना उपकरण जैसे कि कम्पेक्टर्स, ग्रेडर्स, जेसीबी, डोजर्स, कन्क्रीट मिक्सर्स आदि पर दोनों तरफ बड़े अक्षरों में यह लिखा जाएगा कि यह उपकरण भारत सरकार, एमपीलैड्स निधियों से खरीदा गया है।"

इसी प्रकार से, एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के लिए अनुबंध-IV ड. में शीर्ष शिक्षा (02), योजना सं. 5 में निम्नलिखित शामिल किया जाएगाः

5.	कौशल विकास प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए अवसंरचना/उपकरण	02	005

विद्यमान क्रम संख्या 5 को क्रम संख्या 6 पढ़ा जाए ।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

16/2/17

(डी. साई बाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।